

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 681]
No. 681]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2014/अग्रहायण 28, 1936
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 2014/AGRAHAYANA 28, 1936

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 905(अ).—केन्द्र सरकार एतद्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (छ) के साथ पठित उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जितेन्द्र कुमार कोचर पुत्र श्री आर.सी. कोचर के स्थान पर श्री विजेन्द्र गुप्ता, पुत्र स्व. श्री एम.पी. गुप्ता को तत्काल प्रभाव से दिल्ली विकास प्राधिकरण में सदस्य के रूप में नामित करती है।

[फा. सं. के-11011/21/2004-डीडी1ए]

नरेन्द्र वशिष्ठ, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2014

G.S.R 905(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (g) of sub-section (3) of Section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby nominates Shri Vijender Gupta s/o Late Shri M.P. Gupta vice Shri Jitender Kumar Kochar s/o Shri R.C. Kochar, as Member of the Delhi Development Authority with immediate effect.

[F. No. K-11011/21/2004-DDIA]

NARENDRA VASHISTA, Under Secy.

